जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर+आबकारी निरीक्षक वृत पूर्व=भ्रष्ट अधिकारी

L.H.S=R.H.S

hence proved

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा और आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता का भ्रष्ट आचरण हुआ उजागर!!!

EXPOSED

अपने पद का दुरुपयोग कर,लाईसेंसी तुषार चौधरी को

एक साल के लिए नियम विरुद्ध लोकेशन पर शराब की दुकान चलाने का दिया अभयदान!!

कागजी कार्यवाही कर निकाला,आधा साल!!!

शराब की दुकान की लोकेशन अनयंत्र शिफ्ट नहीं करने के लिए अपना रहे तमाम अवैध हथकंडे!!!

अपने चहेते शराब ठेकेदार की दुकान को बचाने के लिए कर रहे आम जन की धार्मिक भावनाओ से खिलवाड़!!

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा के अनुसार

श्री दिगम्बर जैन मंदिर और मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ पंजीकृत धार्मिक स्थल नहीं!!

लाईसेंसी तुषार चौधरी की नजदीकी रिश्तेदार के नाम पिछले साल के लाखों रुपये बकाया!!!

इस प्रकार दोनों माँ-बेटों पर इन दोनों अधिकारियों की विशेष मेहरबानी!!!

आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी द्वारा संचालित कम्पोजिट शराब की दुकान का है मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/21 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा डबल रोल मे!!

जिला आबकारी अधिकारी के साथ निभा रहे सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग का भी किरदार!!

आबकारी विभाग के इतिहास मे पहली बार कोई जिला आबकारी अधिकारी कर रहा देवस्थान के नियमों/आदेशों से संतुष्ट ना होकर कर रहा उनकी अपने अंदाज मे व्याख्या!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा और आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा दिए गए जवाबों का ब्लेक एंड व्हाईट सच!!!

1	दिनांक 30/05/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि मदिरा दुकान से 200 मीटर की दूरी मे कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है|	जबकि दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे मातादीन मीणा द्वारा बताया गया कि श्री रघुनाथजी राधानिवास मंदिर 250 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है|श्री दिगम्बर जैन मंदिर जो देवस्थान विभाग मे पंजीकृत धार्मिक स्थल नहीं है,की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 170 मीटर है|महारानियों की छतरियाँ जो कि सिटी पैलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक स्थल है,की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 110 मीटर उक्त स्मारक भी देवस्थान मे रजिस्टर्ड प्रन्यास है
2	दिनांक 30/05/2022 एवं 30/06/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि मदिरा दुकान के संबंध मे कोई जन विरोध उजागर नहीं हुआ है|	जबकि इस दुकान का श्री राजपूत करणी सेना और स्थानीय पार्षद अनीता जैन द्वारा विरोध प्रदर्शित किया जा चुका है|
3	दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे माता दीन मीणा द्वारा बताया गया कि श्री दिगम्बर जैन मंदिर और महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल नहीं वरन देवस्थान मे रजिस्टर्ड प्रन्यास है	जबकि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त एक नहीं बल्कि दो बार अपने पत्रों द्वारा स्पष्ट कर चुके है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत मंदिरों की सूची के अनुसार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मे शामिल है| इतना ही नहीं आबकारी विभाग द्वारा देवस्थान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई मंदिरों की सूचियों के अनुसार ही शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत की जाती है|वह चाहे देवस्थान विभाग मे पंजीकृत धार्मिक स्थल हो या फिर रजिस्टर्ड प्रन्यास|
4	दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे मातादीन मीणा द्वारा बताया गया कि महारानियों कि छतरियाँ सिटी पेलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक हैं|	जबकि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त एक नहीं बल्कि दो बार अपने पत्रों द्वारा स्पष्ट कर चुके है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल है|देवस्थान विभाग की वेबसाईट के अनुसार मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ संरक्षित स्मारक भी है| ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मंदिर देवस्थान विभाग मे पंजीकृत मंदिर है वह संरक्षित स्मारक नहीं हो सकता|या जो संरक्षित स्मारक है वह पंजीकृत मंदिर नहीं हो सकते| कई अन्य मंदिर संरक्षित स्मारक और पंजकृत धार्मिक स्थल दोनों है,जैसे गलता तीर्थ,सूर्य मंदिर,कालिका देवी मंदिर,कल्याण जी का मंदिर इत्यादि
5	दिनांक 30/05/2022 एवं 30/06/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि राजस्व हित मे इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत की गई है|	आपको बता दें कि सरकार/वित्त विभाग या सक्षम न्यायालय कभी भी राजस्व की प्राप्ति हेतु नियम तोड़ने की बात नहीं करता है|यदि इस दुकान की अनयंत्र लोकेशन होती तो भी इस लाईसेंसी को सालाना गारंटी के हिसाब से ही राजस्व का भुगतान करना होता जैसे जयपुर के अन्य 406 शराब लाईसेंसी कर रहे है|सबसे बड़ी बात यह है इस लाईसेंसी की नजदीकी रिश्तेदार के पिछले साल के लाखों रुपये बकाया है,जो इन्ही

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है आमेर रोड पर चल रही गब्बर वाईन्स का मामला?

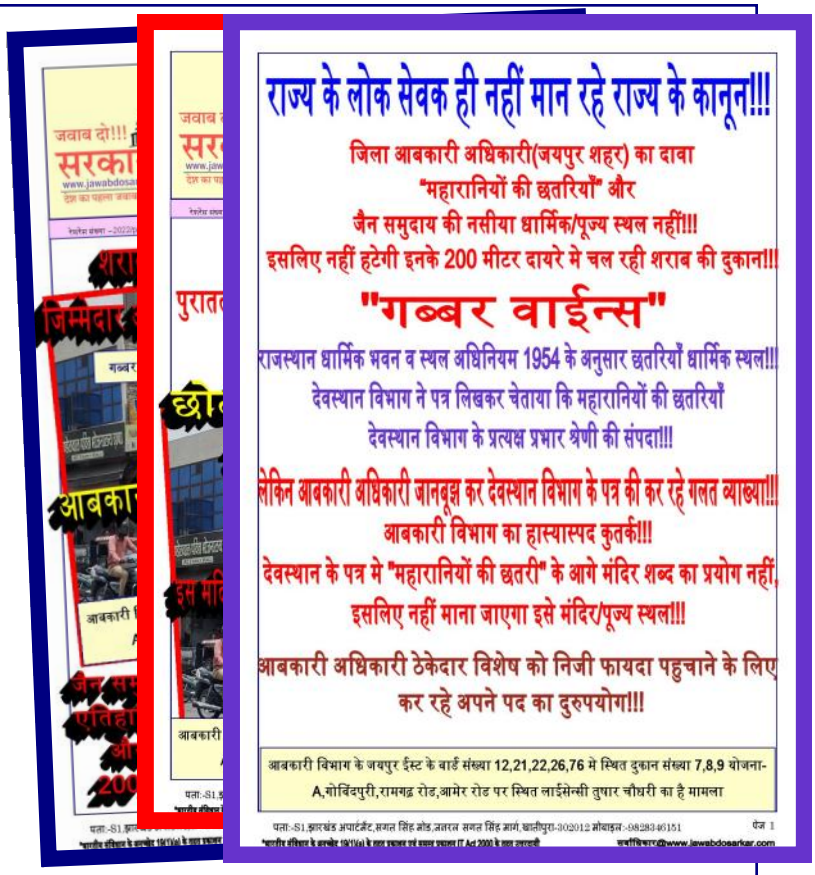

हमारे द्वारा पूर्व मे खुलासा किया गया था कि किस प्रकार एक नहीं बल्कि तीन तीन धार्मिक स्थलो जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"**,विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाली **"महारानियों की छतरियाँ"** और **"श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"** के 200 मीटर के दायरे मे नियम विरुद्ध "गब्बर वाईन्स" नाम से लाईसेन्सी तुषार चौधरी द्वारा दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर कम्पोजीट शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है|

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीना और आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता का भ्रष्ट आचरण हुआ उजागर!!!अपने पद का दुरुपयोग कर,लाईसेंसी तुषार चौधरी को एक साल के लिए नियम विरुद्ध लोकेशन पर शराब की दुकान चलाने का दिया अभयदान!!कागजी कार्यवाही कर निकाला, आधा साल!!!

इस मामले मे हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज परिवाद के क्रम मे जवाब देते हुए आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व,कर्णिका मेहता द्वारा अपने पत्र दिनांक 30/05/2022 और पत्र दिनांक 30/06/2022 द्वारा एक ही रटा-रटाया जवाब दिया गया कि उनके द्वारा **पूर्ण संतुष्टि एवं जांच के उपरांत ही राजस्व हित मे** इस दुकान की अनुशंसा कर,विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है|इसके साथ ही अपने पत्र मे विद्वान आबकारी निरीक्षक द्वारा यह गलत और भ्रामक तथ्य देकर कि मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद मे उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है|मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है और ना ही मदिरा दुकान की मौका जांच मे कोई जन विरोध उजागर हुआ है|जबकि वास्तविकता मे तीनों धार्मिक स्थल उक्त मदिरा दुकान से 200 मीटर के अंदर अवस्थित है और इस दुकान को लेकर व्यापक जनाक्रोश भी है|

इसके बाद जब सूचना के अधिकार 2005 के तहत इस दुकान से संबंधित पत्रवलियाँ मांगी गई तो उसे भी उपलब्ध नहीं करवा कर गोल मोल जवाब दे दिया गया|

यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ आबकारी विभाग के इतिहास मे पहली बार किसी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा देवस्थान विभाग मे पत्र लिख कर देवस्थान विभाग द्वारा घोषित मंदिरों की सूची पर सवालियाँ निशान खड़े किए|इतना ही नहीं जब देवस्थान विभाग ने लिखकर दे दिया कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग मे पंजीकृत मंदिरों की श्रेणी मे है तो उसके बावजूद अब स्वयं विवेचना कर,जवाब दे रहे है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल ना होकर देवस्थान विभाग मे रजिस्टर्ड प्रन्यास है|

तुषार चौधरी की माँ के नाम पिछले साल के लाखों रुपये बकाया!!!

पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 मे आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट मे स्थित लाईसेन्सी श्रीमति विमलेश चौधरी की वार्ड संख्या 29(H)30 (H)61 (H) 62 (H)66 (H)77(H) मे स्थित कम्पोजीट शराब की दुकान संख्या 1 अवस्थित B-157, लक्ष्मीनारायणपुरी, दिल्ली बाईपास पर 41.5 लाख रुपया का बकाया चल रहा है|

सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमलेश चौधरी जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे कम्पोजिट शराब की दुकान चलाने वाले लाईसेन्सी तुषार चौधरी की सगी माँ है|यह वहीं तुषार चौधरी है,जिसकी शराब की दुकान की हम यहाँ बात कर रहे है|ऐसा नहीं है कि संबंधित वर्तमान आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता और वर्तमान जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा को माँ-बेटे की इस सच्चाई का पता नहीं है|लेकिन माँ के हाथ के लड्डू के लालच मे इन दोनों अधिकारियों को कुछ नहीं सूझ रहा है और यह दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार के आकंट मे डूब कर,ना केवल माँ से लाखों की वसूली को भुला चुके है बल्कि बेटे की दुकान पर भी जमकर,निर्मल बाबा बन कर,कृपा लूटा रहे है|

इन दोनों अधिकारियों ने माँ-बेटे को फायदा पहुचाने के लिए,आबकारी विभाग के अब तक के सबसे भ्रष्टतम रहे अधिकारी का भी रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है| बेटे की दुकान को बचाने के चक्कर मे इन दोनों अधिकारियो को ऐसे-ऐसे पापड़ बेलने पड़ रहे है,जिनकी इन्होंने कभी जिंदगी मे भी कल्पना भी नहीं की होगी|सूत्रों के अनुसार यह दोनों अधिकारी फ्री-फोकट मे ही माँ-बेटे पर कृपा नहीं बरसा रहे है या तो यह किसी मोटी रकम के चक्कर मे यह गलत काम कर रहे है या फिर इन लाईसेंसियों के पास इन दोनों अधिकारियों की कोई कमजोरी हाथ लगी हुई है जिसके चलते ही यह बेचारे दोनों अधिकारी अपनी नौकरियों को खतरे मे डाल रहे है|जानकारी तो यह भी सामने आ रही है कि इन अधिकारियों के कहने पर ही,माँ ने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति अपने बेटा-बहुओ के नाम करवा दी है|जिससे कि आबकारी विभाग उनकी संपत्तियों को कुर्क नहीं कर सके|

सूत्रों के अनुसार माँ की दुकान के पेटे बकाया 41.5 लाख के लिए 2 रुपये का खेल बता कर,हर महीने हजारों रुपये मासिक बंधी के रूप मे तो वसूली जा ही रही है,नियम विरुद्ध संचालित बेटे की दुकान को नहीं हटाने के लिए भी हजारों की वसूली हर माह इन अधिकारियों द्वारा की जा रही है|इस प्रकार अपनी अकर्मण्यता के बदले ही इन दोनों अधिकारियों के घर बैठे ही लाखों के वारे-न्यारे हो रहे है|

जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा और आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा दिए गए जवाबों का ब्लेक एंड व्हाईट सच!!!

विगत छह महीनों मे इस दुकान की लोकेशन नहीं बदलने के लिए विभाग के यह दोनों अधिकारी कई कवायद कर चुके है और इसके लिए कई बार सच को झूठ और झूठ को सच भी कह चुके है|आइए आपको बताते है इन दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाबों का क्या है ब्लेक एंड व्हाईट सच|

झूठ न. 1 मदिरा दुकान से 200 मीटर की दूरी मे कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है|

दिनांक 30/05/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि मदिरा दुकान से 200 मीटर की दूरी मे कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है और यही जवाब उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 30/05/2022 को दोहराया गया|

जबकि दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे माता दीन मीणा द्वारा बताया गया कि श्री रघुनाथजी राधानिवास मंदिर 250 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है|श्री दिगम्बर जैन मंदिर जो देवस्थान विभाग मे पंजीकृत धार्मिक स्थल नहीं है,की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 170 मीटर है|महारानियों की छतरियाँ जो कि सिटी पैलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक स्थल है,की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 110 मीटर उक्त स्मारक भी देवस्थान मे रजिस्टर्ड प्रन्यास है|

यह बात दूसरी है कि जिला आबकारी अधिकारी महोदय श्री दिगम्बर जैन मंदिर और मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ की धार्मिक स्थल/मंदिर/देवस्थान मे रजिस्टर्ड प्रन्यास के अनुसार अलग अलग व्याख्या कर इस दुकान की लोकेशन निरस्त नहीं कर रहे है और लाईसेंसी को एक साल दुकान चलाने का मौका दे रहे है जो कि नितांत पद के दुरुपयोग की श्रेणी मे आता है|

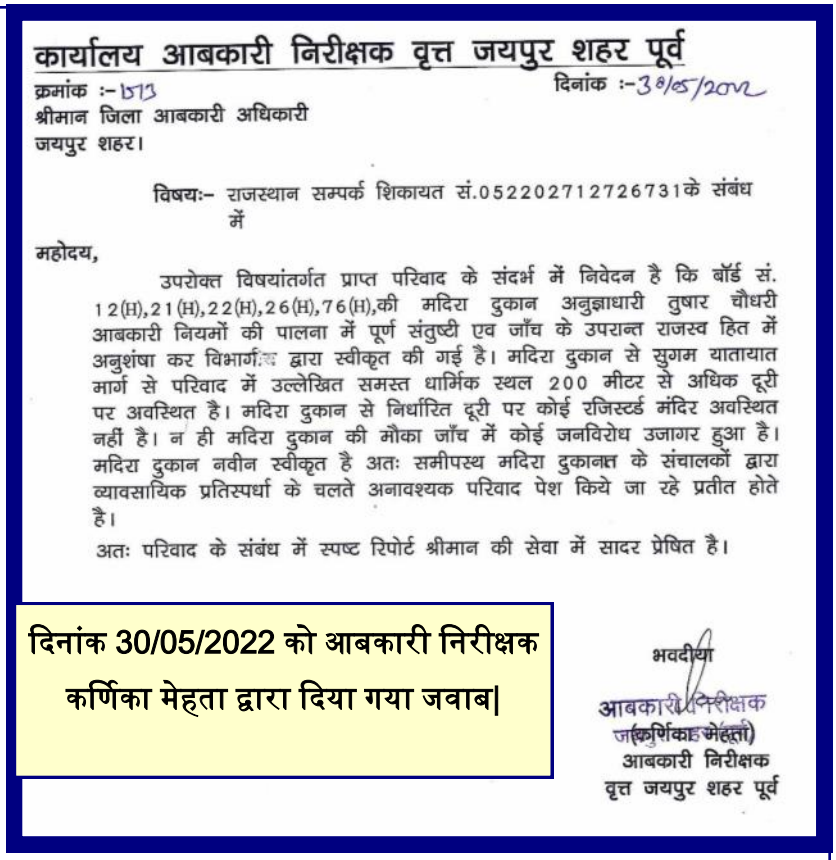

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :- 573 दिनांक :- 30/05/2022

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषयः- राजस्थान सम्पर्क शिकायत सं.052202712726731के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्राप्त परिवाद के संदर्भ में निवेदन है कि बॉर्ड सं. 12(H),21(H),22(H),26(H),76(H),की मदिरा दुकान अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी आबकारी नियमों की पालना में पूर्ण संतुष्टी एव जाँच के उपरान्त राजस्व हित में अनुशंषा कर विभागीय द्वारा स्वीकृत की गई है। मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद में उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है। न ही मदिरा दुकान की मौका जाँच में कोई जनविरोध उजागर हुआ है। मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है अतः समीपस्थ मदिरा दुकानत के संचालकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अनावश्यक परिवाद पेश किये जा रहे प्रतीत होते है।

अतः परिवाद के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया

आबकारी निरीक्षक
(कर्णिका मेहता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

दिनांक 30/05/2022 को आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा दिया गया जवाब|

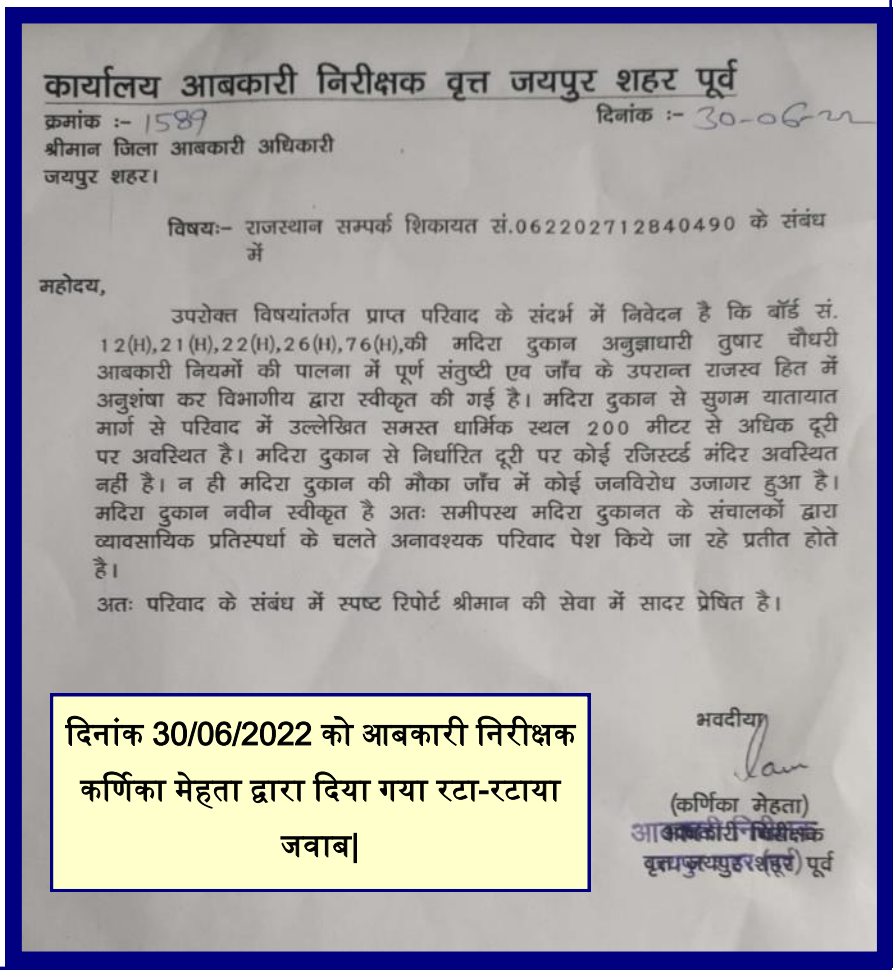

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :- 1589 दिनांक :- 30-06-22

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषयः- राजस्थान सम्पर्क शिकायत सं.062202712840490 के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्राप्त परिवाद के संदर्भ में निवेदन है कि बॉर्ड सं. 12(H),21(H),22(H),26(H),76(H),की मदिरा दुकान अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी आबकारी नियमों की पालना में पूर्ण संतुष्टी एव जाँच के उपरान्त राजस्व हित में अनुशंषा कर विभागीय द्वारा स्वीकृत की गई है। मदिरा दुकान से सुगम यातायात मार्ग से परिवाद में उल्लेखित समस्त धार्मिक स्थल 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। मदिरा दुकान से निर्धारित दूरी पर कोई रजिस्टर्ड मंदिर अवस्थित नहीं है। न ही मदिरा दुकान की मौका जाँच में कोई जनविरोध उजागर हुआ है। मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है अतः समीपस्थ मदिरा दुकानत के संचालकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते अनावश्यक परिवाद पेश किये जा रहे प्रतीत होते है।

अतः परिवाद के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया

(कर्णिका मेहता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

दिनांक 30/06/2022 को आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा दिया गया रटा-रटाया जवाब|

Registered

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

दिनांक : 02/09/2022

क्रमांक :प.()/आब/जि.आ.अ./ज.श./RTI/2022–23/9612

दिनांक 02/09/2022 को जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा द्वारा दिया गया जवाब|

श्री ज्ञानेश कुमार C/o जवाब दो सरकार
एस–1, सेकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट
सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग
खातीपुरा, जयपुर, पिन–302012

विषयः – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।
प्रसंगः– आपका आर.टी.आई. आवेदन क्रमांक RTI/gyanesh/2022/93 dated 08.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्रांसगिक आरटीआई आवेदन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अतंर्गत चाही गई सूचना के संबंध में बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है:–

1. विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2. श्री दिगम्बर जैन मंदिर श्योजी गोधा की नसियां एवं महारानियों की छतरियां देवस्थान विभाग में पंजीकृत धार्मिक स्थलों में शामिल नही वरन देवस्थान में पंजीकृत प्रन्यास है।
3. आबकारी निरीक्षक द्वारा उक्त मदिरा दुकान की लोकेशन की अनुशंषा पूर्ण जांच एवं संतुष्टि के उपरांत ही की गई है ?
4. श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर 250 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित है। श्री दिगंबर जैन मंदिर जो देवस्थान विभाग में पंजीकृत धार्मिक स्थल नही है, की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 170 मीटर है। महारानियों की छतरियां जो सिटी पैलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक स्थल है, की दूरी मदिरा दुकान से लगभग 110 मीटर है । उक्त स्मारक भी देवस्थान में रजिस्टर्ड प्रन्यास है।
5. आबकारी निरीक्षक की अनुशंषा पर उक्त मदिरा दुकान की लोकेशन तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा स्वीकृत की गई।
6. राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के प्रावधानों अनुसार ही किसी भी मदिरा दुकान की लोकेशन स्वीकृत की जाती है।
7. मदिरा दुकान नवीन स्वीकृत है।
8. सूचना शून्य है।
9. विचाराधीन है। ।

(एम.डी.मीना)
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

झूठ न. 2 मदिरा दुकान के संबंध मे कोई जन विरोध नहीं है

दिनांक 30/05/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि मदिरा दुकान के संबंध मे कोई जन विरोध उजागर नहीं हुआ है|जबकि इस दुकान का श्री राजपूत करणी सेना और स्थानीय पार्षद अनीता जैन द्वारा विरोध प्रदर्शित किया जा चुका है|

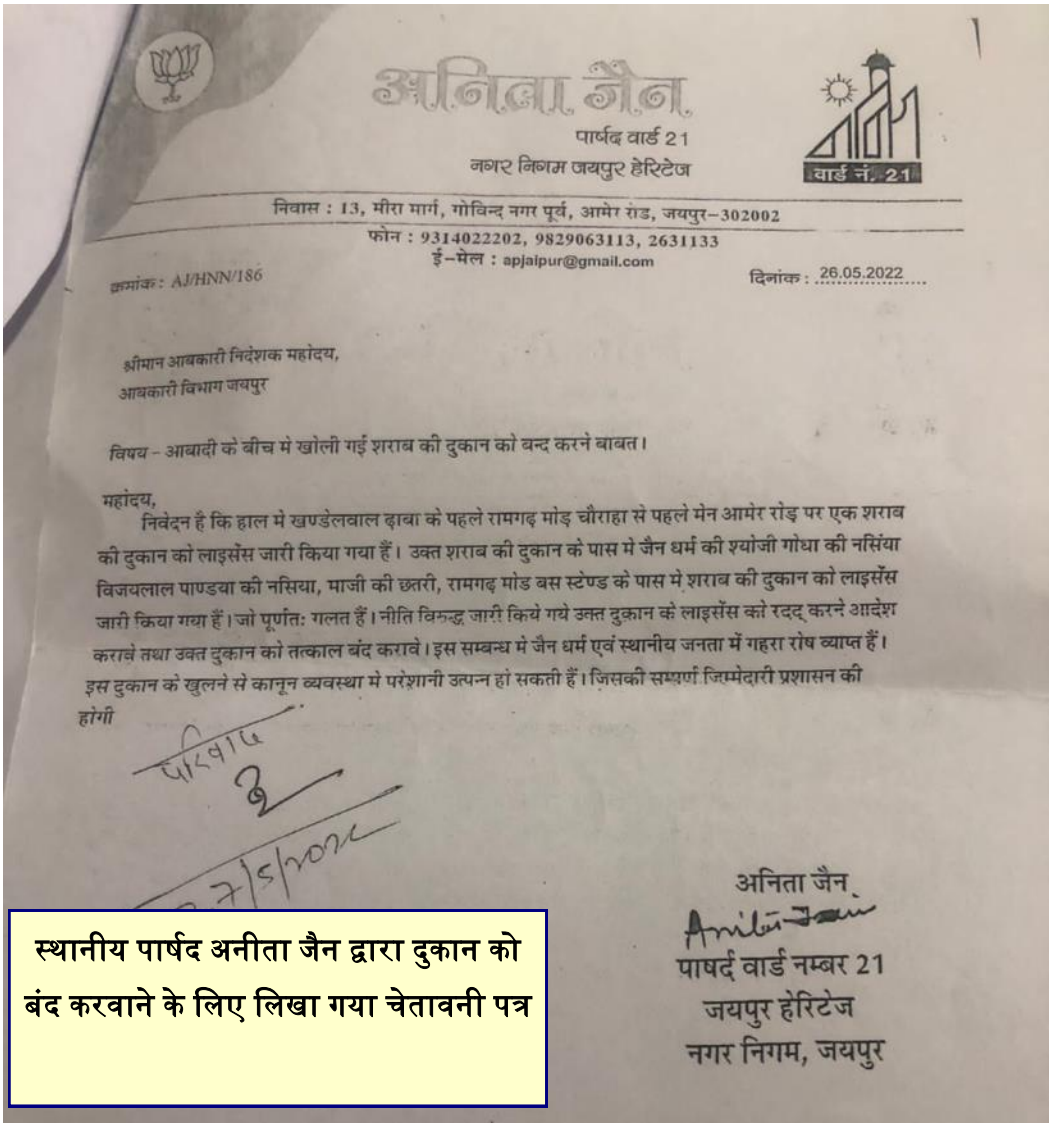

अनिता जैन
पार्षद वार्ड 21
नगर निगम जयपुर हेरिटेज

वार्ड नं. 21

निवास : 13, मीरा मार्ग, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड, जयपुर–302002
फोन : 9314022202, 9829063113, 2631133
ई–मेल : apjaipur@gmail.com

क्रमांक : AJ/HNN/186 दिनांक : 26.05.2022

श्रीमान आबकारी निदेशक महोदय,
आबकारी विभाग जयपुर

विषय – आबादी के बीच में खोली गई शराब की दुकान को बन्द करने बाबत।

महोदय,
निवेदन है कि हाल में खण्डेलवाल ढाबा के पहले रामगढ़ मांड चौराहा से पहले मेन आमेर रोड पर एक शराब की दुकान को लाइसेंस जारी किया गया हैं। उक्त शराब की दुकान के पास में जैन धर्म की श्योजी गोधा की नसिंया विजयलाल पाण्डया की नसिया, माजी की छतरी, रामगढ़ मांड बस स्टेण्ड के पास में शराब की दुकान को लाइसेंस जारी किया गया हैं। जो पूर्णतः गलत हैं। नीति विरुद्ध जारी किये गये उक्त दुकान के लाइसेंस को रदद् करने आदेश करावे तथा उक्त दुकान को तत्काल बंद करावे। इस सम्बन्ध में जैन धर्म एवं स्थानीय जनता में गहरा रोष व्याप्त हैं। इस दुकान के खुलने से कानून व्यवस्था मे परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी

अनिता जैन
पार्षद वार्ड नम्बर 21
जयपुर हेरिटेज
नगर निगम, जयपुर

स्थानीय पार्षद अनीता जैन द्वारा दुकान को बंद करवाने के लिए लिखा गया चेतावनी पत्र

स्थानीय पार्षद श्रीमति अनीता जैन द्वारा जैन समाज और स्थानीय निवासियों की जनभावनाओ के अनुसार अपने पत्रांक AJ/HNN/186 दिनांक 26/05/2022 द्वारा आबकारी विभाग को पत्र लिखकर, चेताया गया था कि “आबकारी विभाग द्वारा खण्डेलवाल ढाबे के पहले,रामगढ़ मोड चौराहा से पहले, आमेर रोड पर एक शराब की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है|उक्त शराब की दुकान के पास मे जैन धर्म की श्योजी गोधा की नसिया,विजयलाल पाण्ड्या की नसिया,माजी की छतरी स्थित है,जो कि पूर्णत:गलत है|नीति विरुद्ध जारी किए गए उक्त दुकान के लाईसेंस को रद्द करने

का आदेश करावे तथा उक्त दुकान को तत्काल बंद करावें|इस संबंध मे जैन धर्म एवं स्थानीय जनता के गहरा रोष व्याप्त है|इस दुकान के खुलने से कानून व्यवस्था मे परेशानी उत्पन्न हो सकती है,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी|"

इस मामले मे श्री राजपूत करणी सेना के राष्टीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना द्वारा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी गयी कि आबकारी विभाग के अधिकारी 20-50 हजार रुपए की घूस के लालच मे छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर शहर को शराब नगरी बनाने पर तुले है जिसके चलते गली-मोहल्लो मे धार्मिक स्थलो,स्कूलो,होस्पिटलों के पास भी शराब की दुकान खोलने से गुरेज नहीं कर रहे है|उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 07 दिन मे महारानियों की छतरियों के पास स्थित गब्बर वाईन्स नाम से चल रही शराब की दुकान को नहीं हटाई गयी तो आबकारी विभाग द्वारा बेचे जाने वाले अद्दे-पव्वों की दुकान के बाहर ही होली जलायी जाएगी|

झूठ न. 3 श्री दिगम्बर जैन मंदिर और महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल नहीं है

दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे माता दीन मीणा द्वारा बताया गया कि श्री दिगम्बर जैन मंदिर और महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल नहीं वरन देवस्थान मे रजिस्टर्ड प्रन्यास है|जबकि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त एक नहीं बल्कि दो बार अपने पत्रों द्वारा स्पष्ट कर चुके है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत मंदिरों की सूची के अनुसार राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मे शामिल है|

इतना ही नहीं आबकारी विभाग द्वारा देवस्थान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई मंदिरों की सूचियों के अनुसार ही शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत की जाती है|वह चाहे देवस्थान विभाग मे पंजीकृत धार्मिक स्थल हो या फिर रजिस्टर्ड प्रन्यास|

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर

अधिसूचना जनवरी 29,1997 में सम्मिलित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की सूची

मास्टर क्र.स.	मंदिर/संस्था/प्रन्यास का यूनीक कोड	मंदिर/संस्था/प्रन्यास का नाम	पता	तहसील	जिला	अधिसूचना का पृष्ठ	अधिसूचना का क्रमांक	मंदिर की श्रेणी	मुख्य देवता/भगवान का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	11634	मंदिर श्री रघुनाथ जी	राधा निवासए रामगढ़ रोड के सामने, आमेर रोड	जयपुर	जयपुर	43	17	प्रत्यक्ष प्रभार	विष्णु जी
41	11623	मंदिर श्री महारानी की छत्रिया उर्फ ईश्वर जी की छत्री	आमेर रोड	जयपुर	जयपुर	43	41	प्रत्यक्ष प्रभार	

झूठ न. 4 महारानियों कि छतरियाँ पर सिटी पेलेस म्यूजियम ट्रस्ट का अधिकार है|

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

8.4.1963 से 31.3.2017 तक

ट्रस्ट सूची मंदिरान जयपुर

क्र.सं.	प्रन्यास का नाम	प्रन्यास का पता	कार्यवाहक प्रन्यासी का नाम	पंजीकृत संख्या एवं दिनांक	
1	2	3	4	5	6
	अमर चन्द जी				
27.	दिगम्बर जैन मंदिर लश्कर	रास्ता बोडियान, मोदी खाना, जयपुर	श्री गुलाब चन्द	111/64	9.4.64

दिनांक 02/09/2022 को दिए गए अपने जवाब मे मातादीन मीणा द्वारा बताया गया कि महारानियों कि छतरियाँ सिटी पेलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक है|जबकि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त एक नहीं बल्कि दो बार अपने पत्रों द्वारा स्पष्ट कर चुके है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान मे पंजीकृत धार्मिक स्थलों मे शामिल है|देवस्थान विभाग की वेबसाईट के अनुसार मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ संरक्षित स्मारक भी है|

ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मंदिर देवस्थान विभाग मे पंजीकृत मंदिर है वह संरक्षित स्मारक नहीं हो सकता|या जो संरक्षित स्मारक है वह पंजीकृत मंदिर नहीं हो सकते|

राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की सूची

(सुलभ संदर्भार्थ)

List of State (Archeology & Museum Department) Protected Monuments in Rajasthan

Updated upto 16.06.2017

S.No.	Name of the Monument	Place
150	Queens Cenotaphs	Amber Road

कई अन्य मंदिर संरक्षित स्मारक और पंजकृत धार्मिक स्थल दोनों है,जैसे गलता तीर्थ,सूर्य मंदिर,कालिका देवी मंदिर,कल्याण जी का मंदिर इत्यादि|

झूठ न. 5 राजस्व हित मे इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत की गई है|

दिनांक 30/05/2022 एवं 30/06/2022 को कर्णिका मेहता ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि राजस्व हित मे इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत की गई है|आपको बता दें कि सरकार/वित्त विभाग या सक्षम न्यायालय कभी भी राजस्व की प्राप्ति हेतु नियम तोड़ने की बात नहीं करता है|यदि इस दुकान की अनयंत्र लोकेशन होती तो भी इस लाईसेंसी को सालाना गारंटी के हिसाब से ही राजस्व का भुगतान करना होता जैसे जयपुर के अन्य 406 शराब लाईसेंसी कर रहे है|सबसे बड़ी बात यह है इस लाईसेंसी की नजदीकी रिश्तेदार के पिछले साल के लाखों रुपये बकाया है,जो इन्ही आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता के अधिकार क्षेत्र की थी|लेकिन इसके बावजूद लाईसेंसी को व्यक्तिगत फायदा पहुचाने के लिए राजस्व का बहाना बनाया जा रहा है|

	TILAK RAJ SHARMA	JULFI RAM	6203780
	URMILA RANI	SOHAN SINGH	5219380
	VICKY	TOLA RAM	5808943
0(H)	VIKASH YADAV	NANU RAM YADAV	14432420
1(G)	VIKRAM	LAL CHAND	15299289
(H)	VIMLESH CHOUDHARY	YOGENDRA KUMAR CHOUDHARY	4147926
	VISHAL SONI	ASHOK SAINI	5057244
		Total:-	1190469198

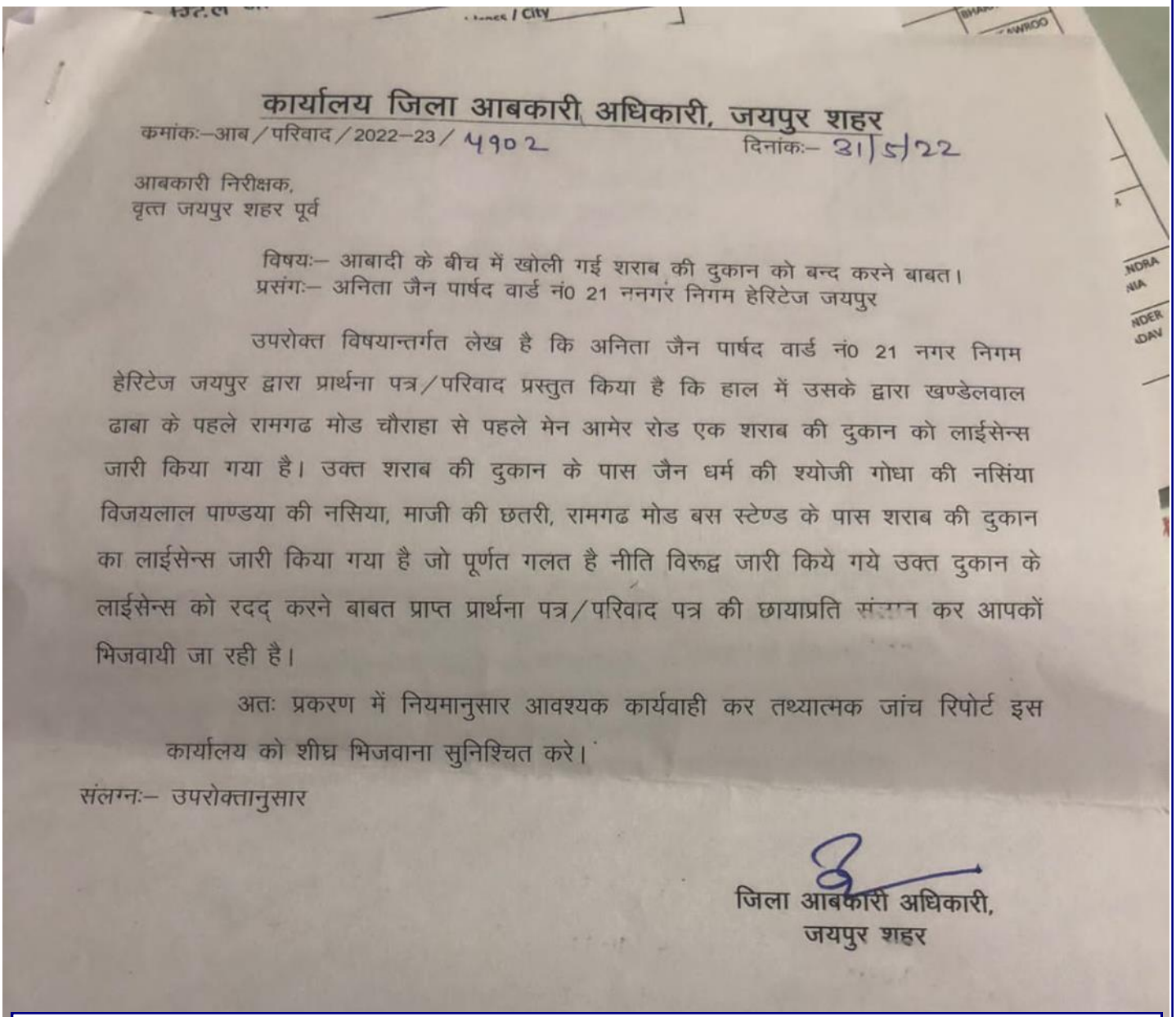

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

कमांकः–आब/परिवाद/2022–23/ 4902 दिनांकः– 31/5/22

आबकारी निरीक्षक,
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

विषयः– आबादी के बीच में खोली गई शराब की दुकान को बन्द करने बाबत।
प्रसंगः– अनिता जैन पार्षद वार्ड नं0 21 ननगर निगम हेरिटेज जयपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनिता जैन पार्षद वार्ड नं0 21 नगर निगम हेरिटेज जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र/परिवाद प्रस्तुत किया है कि हाल में उसके द्वारा खण्डेलवाल ढाबा के पहले रामगढ मोड चौराहा से पहले मेन आमेर रोड एक शराब की दुकान को लाईसेन्स जारी किया गया है। उक्त शराब की दुकान के पास जैन धर्म की श्योजी गोधा की नसिंया विजयलाल पाण्डया की नसिया, माजी की छतरी, रामगढ मोड बस स्टेण्ड के पास शराब की दुकान का लाईसेन्स जारी किया गया है जो पूर्णत गलत है नीति विरूद्व जारी किये गये उक्त दुकान के लाईसेन्स को रदद् करने बाबत प्राप्त प्रार्थना पत्र/परिवाद पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकों भिजवायी जा रही है।

अतः प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

स्थानीय पार्षद अनीता जैन द्वारा दुकान को बंद करवाने के लिए लिखा गए चेतावनी पत्र के संबंध मे अग्रीम कार्यवाही करने वाबत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षक को लिखा गया पत्र

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर पूर्व

क्रमांक :– 1575 दिनांक :– 21-06-2021

श्रीमान सहायक आयुक्त
प्रथम देवस्थान जयपुर

विषय :– मदिरा दुकान नं. 01 वॉर्ड नं. 12,21,22,26,76 हैरिटेज अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी अवस्थित रामगढ मोड वॉर्ड संख्या 21 जयपुर हैरिटेज के समीपस्थ महारानियों की छतरियों एवं श्योजी गोधा जी नसियां के देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिर की सूचना के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मदिरा दुकान नं. 01 वॉर्ड नं. 12,21,22,26,76 हैरिटेज अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी अवस्थित रामगढ मोड वॉर्ड संख्या 21 जयपुर हैरिटेज के समीपस्थ ऐतिहासिक स्थल महारानियों की छतरियों एवं वॉर्ड नं. 10 जयपुर हैरिटेज में स्थित श्योजी गोधा जी की नसियां देवस्थान विभाग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल है अथवा नहीं। वर्णित स्थलों में किन देवी/देवता की पूजा अर्चना की जाती है। उक्त स्थल किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति हैं अथवा देवस्थान विभाग की अधिकृत भूमि पर स्थित है। उक्त तथ्यों के संबंध में विस्तृत सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवाने की कृपा करें।

भवदीया

(कर्णिका मेहता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर शहर पूर्व

आबकारी निरीक्षक
जयपुर शहर (पूर्व)

श्री दिगम्बर जैन मंदिर और मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ की देवस्थान विभाग मे स्थिति जानने के लिए आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता द्वारा देवस्थान उपायुक्त को लिखा गया पत्र|जबकि आबकारी विभाग के पास उपलब्ध सूची मे यह दोनों मंदिर देवस्थान विभाग मे रजिस्टर्ड है|

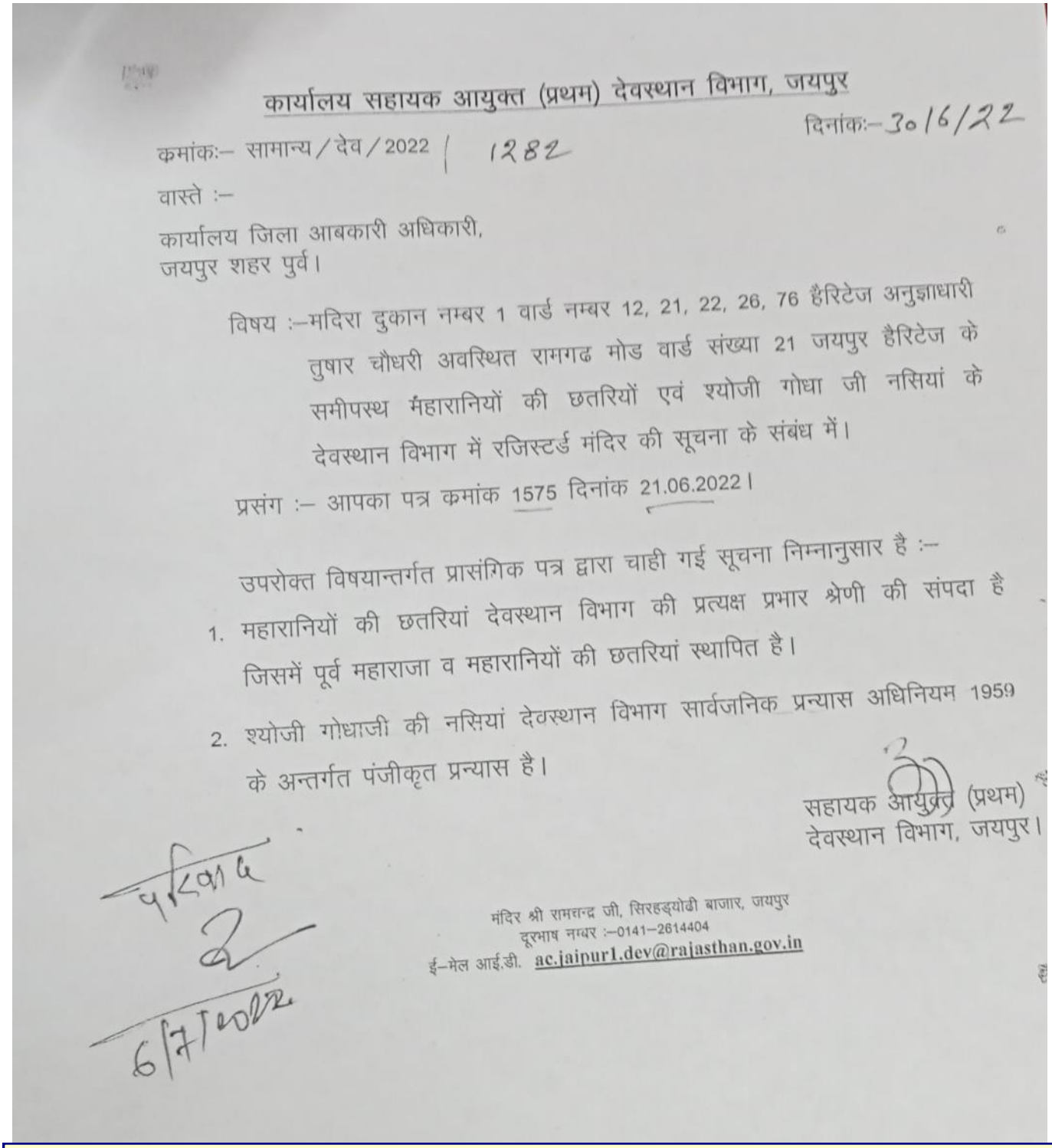

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

दिनांकः-30/6/22

कमांकः- सामान्य/देव/2022/ 1282

वास्ते :-

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर पुर्व।

विषय :-मदिरा दुकान नम्बर 1 वार्ड नम्बर 12, 21, 22, 26, 76 हैरिटेज अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी अवस्थित रामगढ मोड वार्ड संख्या 21 जयपुर हैरिटेज के समीपस्थ महारानियों की छतरियों एवं श्योजी गोधा जी नसियां के देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिर की सूचना के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र कमांक 1575 दिनांक 21.06.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

1. महारानियों की छतरियां देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी की संपदा है जिसमें पूर्व महाराजा व महारानियों की छतरियां स्थापित है।
2. श्योजी गोधाजी की नसियां देवस्थान विभाग सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर।

परिवाद
2
6/7/2022

मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर
दूरभाष नम्बर :-0141-2614404
ई-मेल आई.डी. ac.jaipur1.dev@rajasthan.gov.in

दिनांक 30/06/2022 को देवस्थान विभाग द्वारा पत्र लिखकर,दोनों मंदिरों की स्थिति स्पष्ट की गई|

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कमांकः– ट्रस्ट/देव/2022 दिनांकः–

वास्ते :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर पुर्व।

विषय :–मदिरा दुकान नम्बर 1 वार्ड नम्बर 12, 21, 22, 26, 76 हैरिटेज अनुज्ञाधारी तुषार चौधरी अवस्थित रामगढ मोड वार्ड संख्या 21 जयपुर हैरिटेज के समीपस्थ महारानियों की छतरियों एवं श्योजी गोधा जी नसियां के देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिर की सूचना के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक 1575 दिनांक 21.06.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र कमांक 1282 दिनांक 30.06.2022 से लिखा गया था। उक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निरीक्षक से जांच करवाई गई। निरीक्षक की जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय रिकार्ड अनुसार महारानियों की छतरियां उर्फ ईश्वर सिंह जी की छतरी के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर महारानियों की छतरियां उर्फ ईश्वर सिंह जी की छतरी के रूप में जानी जाती है जो देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के राजपत्र दिनांक 25 जून 1981 के पश्चात अब घोषित नये राजकीय मंदिरान/संस्थान के कम संख्या 1 पर दर्ज है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क. सं.	नाम मंदिर/संस्थान तथा पता	श्रेणी	राज्य सरकार के स्वीकृति कमांक एवं दिनांक
1	मंदिर महारानियों की छतरियां उर्फ ईश्वर सिंह जी की छतरी, आमेर रोड़, जयपुर	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	एफ 9(21)राज/देव/80 दिनांक 11.11.1982

संलग्न :– गजट की प्रति।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर।

कमांकः– ट्रस्ट/देव/2022/1412 दिनांक :– 21/7/22

प्रतिलिपि :– श्री महावीर सिंह तंवर, श्री राजपूत करणी सेना के पत्र दिनांक 09.07.2022 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक 21/07/2022 को देवस्थान विभाग द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ उर्फ ईश्वरजी की छतरी राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार की संपदा है,मातादीन मीणा के अनुसार इस मंदिर की तुषार चौधरी की शराब दुकान से महज 110 मीटर की दूरी है,जो कि नियम विरुद्ध है|

गब्बर वाईन्स को लेकर जिला आबकारी अधिकारी श्री मातादीन मीणा से सीधे सवाल|

सवाल:-हमारे द्वारा मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ उर्फ ईश्वरजी की छतरी के 200 मीटर के अंदर लाईसेन्सी तुषार चौधरी की दुकान खोलने के मामले की जांच आपके स्वयं द्वारा की जा रही है अथवा अन्य किसी अधिकारी के द्वारा?यदि अन्य अधिकारी द्वारा की जा रही हो तो उसका नाम,पदनाम बताए|

सवाल:-कृपया स्पष्ट करें कि आपके कार्यालय मे स्थित देवस्थानों की सूची मे मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ उर्फ ईश्वरजी की छतरी दर्ज है अथवा नहीं?यदि सूची उपलब्ध होने के बावजूद आपके द्वारा देवस्थान विभाग से इस मंदिर की स्थिति के बारे मे चिट्ठी लिखकर समय व्यर्थ कर,लाईसेंसी की नियमविरुद्ध दुकान को पूरे साल संचालित करने का मौका दिया जाता है तो क्या यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पद के दुरुपयोग की श्रेणी मे नहीं आता है?

सवाल:-इससे पहले आबकारी विभाग द्वारा कितने मंदिरो के बारे मे देवस्थान विभाग को पत्र लिख कर पूछा गया है या यह पहली बार हुआ है कि आबकारी विभाग द्वारा किसी मंदिर के बारे मे देवस्थान विभाग से पूछा गया हो?

सवाल:-आपके पत्रांक 1575 दिनांक 21/06/2022 के जवाब मे सहायक आयुक्त(प्रथम)देवस्थान विभाग के पत्रांक 1282 दिनांक 30/06/2022 के क्रम मे आपको क्या संशय था,जिसके चलते आपके द्वारा एक संगठन विशेष के प्रतिनिधि को देवस्थान विभाग से मंदिर शब्द लिखवा कर,लाने को मजबूर किया गया?

सवाल:-जब कड़ी जद्दोजहद के बाद, संगठन विशेष के प्रतिनिधि द्वारा देवस्थान विभाग से तमाम वह स्पष्टीकरण,जिन्हे आप देखना और सुनना चाहते थे, सहायक आयुक्त(प्रथम)देवस्थान विभाग के पत्रांक 1412 दिनांक 21/07/2022 के क्रम मे लिखवा कर ले आए,उसके बावजूद आपके द्वारा आज दिनांक तक,तुषार चौधरी की दुकान अन्यंत्र शिफ्ट क्यू नहीं करवाई?

सवाल:-सहायक आयुक्त(प्रथम)देवस्थान विभाग के पत्रांक 1412 दिनांक 21/07/2022 के क्रम मे संबन्धित अधिकारी द्वारा मंदिर/संस्थान का संदर्भ लेकर, उसके जवाब मे मंदिर महारानियों की छतरियाँ उर्फ ईश्वरजी की छतरी,आमेर रोड,जयपुर लिखकर पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था,उसके बाद भी आप द्वारा एक संगठन विशेष के प्रतिनिधि मंडल से **मंदिर और प्रन्यास** के नाम पर निरर्थक बहस क्यू की गयी?

सवाल:-आपके अनुसार धार्मिक स्थल और पुजा स्थल मे क्या अंतर है?

सवाल:-हिन्दू मान्यता/आस्था/नियमावली के हिसाब से हिन्दुओ का धार्मिक स्थल/पुजा स्थल कौन/क्या होते है?

सवाल:-आपकी नजर मे/विचार मे/ज्ञान के अनुसार मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ उर्फ ईश्वरजी की छतरी क्या है?जिसके चलते आप बार बार अन्य विभागो से पूछताछ कर रहे है?

सवाल:-देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 30/06/2022 और दिनांक 21/07/2022 को लिखे गए पत्रों मे स्पष्ट किया है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ देवस्थान विभाग की प्रत्यक्ष प्रभार की संपदा है,जो कि दिनांक 25 जून 1981 को जारी गजट नोटिफिकेशन के क्रम संख्या 1 पर दर्ज है|इन दोनों पत्रों मे कहीं यह नहीं लिखा है कि यह संपदा सिटी पेलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक है और यह मंदिर ना होकर रजिस्टर्ड प्रन्यास है|इसके बावजूद आपके द्वारा कहाँ से और किस आधार पर इस ज्ञान का बखान कर रहे है कि मंदिर श्री महारानियों की छतरियाँ सिटी पेलेस म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पोषित स्मारक है और यह मंदिर ना होकर रजिस्टर्ड प्रन्यास है|

सवाल:-ऐसे कई उदाहरण है जहां पर मात्र कागजी जनाक्रोश बता कर,आपके द्वारा रसुखदार,शराब ठेकेदारो से मिलीभगत कर,कई शराब लाईसेंसियों की दुकाने हटवाई या लोकेशन मंजूर ही नहीं कीहै|जबकि इस मामले मे तो स्थानीय पार्षद और श्री राजपूत करणी सेना द्वारा विरोध प्रदर्शित किया जा चुका है|देवस्थान विभाग भी इस मंदिर की स्थिति स्पष्ट कर चुका है|फिर जिला आबकारी अधिकारी मातादीन मीणा द्वारा क्यूँ इस दुकान को नहीं हटाने के लिए नियमों को उधेड़ा जा रहा है?

सवाल:-आखिर क्यूँ आपके द्वारा संगठन विशेष के प्रतिनिधि मंडल के सामने मंदिर श्री महारानियों की छतरियों को शमशान बता कर,उक्त पूजनीय स्थल का अपमान किया गया?आपके ज्ञान/विवेक के अनुसार छतरियाँ/समाधि स्थल क्या पूजनीय स्थल/ धार्मिक स्थल नहीं है?

सवाल:-आपके तर्को के अनुसार तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट भी पूजनीय नहीं होनी चाहिए|यदि राजघाट जयपुर मे होता तो क्या आप अपने तर्कानुसार इसके पास भी शराब की दुकान का लाइसेन्स जारी कर सकते है?

सवाल:-यदि आपकी लेट लतीफी के चलते भविष्य मे कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सहर्ष आप लेने को तैयार है?

सवाल:-आखिर क्यूँ आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा लाईसेंसी तुषार चौधरी की माँ से राजस्व की वसूली नहीं की जा रही है?

सवाल:-क्या इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत, पद के दुरुपयोग का मानकर,अग्रीम कार्यवाही करेगी?